



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260204
CG-DL-E-14012025-260204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946

No. 27]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/ PAUSHA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2024

सा.का.नि. 31(अ).— अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-A, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2024 होगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम में, नियम 32 में, “पांच” शब्द को “दस” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. मूल नियम में, नियम 36 में, उपनियम (1) में, “पांच” शब्द को “दस” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

डॉ संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण- भारत का राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.469(अ) तारीख 9 जुलाई, 2013, सा.का.नि. 938.(अ) तारीख 27 सितंबर, 2018 और सा.का.नि. 608.(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 29th November, 2024

G.S.R. 31(E).—The draft of the following rules to amend the Ammonium Nitrate Rules 2012, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to Director (Explosives), Department For Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252 A, Udyog Bhawan, New Delhi –110011 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the principle rules, in rule 32, the word “five” shall be replaced with word “ten”.
3. In the principle rules, in rule 36, in sub rule (1), the word “five” shall be replaced with word “ten”.

[F. No. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 553(E) dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 469(E) dated 9th July 2013, G.S.R. 938(E) dated 27th September, 2018 and G.S.R. 608(E), dated the 31st August, 2021.